रजिस्टर्ड नं०-एल०डब्लू०/एन०पी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 25 अप्रैल, 2020 ई० (वैशाख 5, 1942 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

24 जनवरी, 2020 ई०

सं0 1238/23-51(2018-2021)स्था0नि0सं0 II—जिला पंचायत गाजीपुर द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 (2) के अन्तर्गत दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योगों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गयी है, जिसकी मैं, दीपक अग्रवाल आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं जो कि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी। इस उपविधि के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि स्वतः निरस्त हो जायेगी।

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239(1) एवं धारा 239(2) (ड) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत, गाजीपुर द्वारा जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग/मिल/फैक्ट्री/कारखानों एवं व्यवसायों को नियन्त्रित करने तथा विनियमित करने के निमित्त बनायी गयी उपविधि, जो शासनादेश संख्या 1152/33-2-2017-62जी/17, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 द्वारा प्राप्त मॉडल उपविधि को लागू करने का प्रस्ताव जिला पंचायत, गाजीपुर की बैठक दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा अनुमोदित किया गया। आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि किये जाने के उपरान्त राजपत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि निरस्त हो जायेगी।

उप नियम

1—यह उपनियम जिला पंचायत, गाजीपुर के मिल/कारखाना/फैक्ट्री उप नियम कहलायेगी तथा जिला पंचायत, गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित/संचालित मिल कारखाने/फैक्ट्रियों पर लागू होंगे।

2—यह उप नियम राजकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होंगे।

3—परिभाषायें—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

(ख) "जिला पंचायत" का तात्पर्य कार्यालय, जिला पंचायत, गाजीपुर से है।

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

(ग) "अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत, गाजीपुर के अध्यक्ष/अपर मुख्य अधिकारी से है।

(घ) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र से है।

(ङ) "सड़क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 (37) में परिभाषित सड़क से है।

(च) "स्वामी" का तात्पर्य मालिक, प्रबन्धक, मुन्शी, मुनीब तथा अन्य उस व्यक्ति से जो मिल, कारखाना, फैक्ट्री की देख-रेख के लिये नियुक्त किया गया है।

(छ) "मिल/कारखाना/फैक्ट्री" का तात्पर्य कारखाना अथवा अन्य उत्पादन के साधन एवं व्यावसाय/व्यापार के अहाते तथा उसकी पूरी सीमाओं तक की भूमि से है। जिसके किसी भाग में किसी वस्तु के उत्पादन, रख-रखाव अथवा संचालन की क्रिया सम्बन्धित रीति में साधारणतया बिजली, तेल, पेट्रोल, डीजल, भाप, जनरेटर, पवन जल आदि का प्रयोग किया जाता है।

4--कोई भी व्यक्ति/संस्था जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, गाजीपुर से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना उपनियम की धारा-5 में उल्लिखित मिल/कारखाना/फैक्ट्री स्थापित अथवा संचालित नहीं करेगा और न इसके पूर्व स्थापित अथवा संचालित मिल/कारखाना/फैक्ट्री के व्यवसाय को जारी रखेगा। इन उपनियमों के अन्तर्गत मिल/कारखाना/फैक्ट्री के अन्तर्गत निम्न उत्पादन कार्य अथवा व्यवसाय/व्यापार सम्मिलित होंगे जिनका लाइसेन्स प्रत्येक मिल/कारखाना/फैक्ट्री के सम्मुख अंकित निर्धारित शुल्क जमा करने पर जारी किया जायेगा।

5—मिल/कारखाना/फैक्ट्री एवं व्यवसाय का नाम व निर्धारित लाइसेन्स शुल्क निम्न प्रकार होगा—

क्र0सं0	मद/व्यवसाय का नाम/कारखाने का नाम	निर्धारित लाइसेन्स शुल्क
1	2	3
		रु0
1	चीनी मिल	50,000.00
2	क्रेशर हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	4,000.00
4	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नॉन सल्फीटेशन	2,500.00
5	शक्ति चालित गन्ना पेरने का कोल्हू	400.00
6	शक्ति चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	1,000.00
7	हस्त चलित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	200.00
8	उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा क्रिस्टीलाइजर	300.00
9	धान कूटने का मिल (राइस रोलर)	2,500.00
10	एक्सपेलर	500.00
11	आरा मशीन	2,000.00
12	खराद मशीन	1,000.00
13	पावर लूम (प्रत्येक)	1,000.00
14	रेशम व कपड़ा बनाने का कारखाना	4,000.00
15	सरिया बनाने का कारखाना	15,000.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

1	2	3
		रु0
16	लोहा बनाने का कारखाना (प्रति भट्ठी)	5,000.00
17	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,000.00
18	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00
19	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00
20	पेपर कोन बनाने का कारखाना	4,000.00
21	पेपर रोल बनाने का कारखाना	8,000.00
22	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता)	10,000.00
23	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन क्षमता तक)	15,000.00
24	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00
25	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता से अधिक)	50,000.00
26	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00
27	चिलिंग प्लाण्ट	8,000.00
28	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2" मोटाई तक)	25,000.00
29	स्टील, आयरन आदि से पाईप बनाने का कारखाना (2" मोटाई से अधिक)	50,000.00
30	मशीन या यंत्र बनाने का कारखाना	7,000.00
31	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	10,000.00
32	फल, सब्जियां एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग से अधिक क्षमता तक)	15,000.00
33	पिक्चर ट्यूब बनाने कारखाना	5,000.00
34	हाटमिक्स प्लाण्ट	10,000.00
35	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00
36	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का छोटा कारखाना	2,000.00
37	चीनी मिट्टी के बर्तन या टाईल्स बनाने का बड़ा कारखाना	7,000.00
38	मसाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना (सिरेमिक्स)	8,000.00
39	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा, तांबा व टीन आदि से वस्तुयें बनाना	4,000.00
40	वनस्पति या देशी घी या रिफाइण्ड आयल बनाने का कारखाना	15,000.00
41	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00
42	कृषि सम्बन्धित यंत्र बनाने का कारखाना	4,000.00
43	फर्टिलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	10,000.00
44	खाण्डसारी उद्योग के यंत्र बनाने का कारखाना	50,000.00
45	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	4,000.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

1	2	3
		रु0
46	प्लास्टिक के पाईप, टैंक बनाने का कारखाना	7,000.00
47	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	4,000.00
48	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	2,000.00
49	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (बड़ा)	8,000.00
50.	सीमेंट बनाने का कारखाना	10,000.00
51	फ्लोर मिल	10,000.00
52	दाल मिल	5,000.00
53	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट कंकरीट आदि से ह्यूम पाईप बनाने का कारखाना	10,000.00
54	टेलीविजन बनाने का कारखाना	10,000.00
55	माचिस बनाने का कारखाना	10,000.00
56	बटन बनाने का कारखाना	6,000.00
57	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00
58	बिनियर एण्ड शां मिल	7,000.00
59	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना/फैक्ट्री	50,000.00
60	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	15,000.00
61	साकिट बनाने का कारखाना	5,000.00
62	प्लाईबुड या माइका बनाने का कारखाना	10,000.00
63	दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00
64	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना	3,000.00
65	लेमिनेशन बनाने का कारखाना	5,000.00
66	दूध पैकेजिंग बनाने का कारखाना	6,000.00
67	केमिकल बनाने का कारखाना	8,000.00
68	डबल रोटी या बिस्कुट बनाने का कारखाना	5,000.00
69	गैस आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
70	गैस के सिलेण्डर बनाने का कारखाना	8,000.00
71	बेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
72	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	6,000.00
73	ढलाई करने का कारखाना	6,000.00
74	स्टील आलमारी, बक्से, मेज आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
75	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
76	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00
77	धागा डबलिंग का कारखाना	7,000.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

1	2	3
		रु0
78	दरी, कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00
79	साबुन बनाने का कारखाना	2,000.00
80	डिटर्जेंट बनाने का कारखाना	7,000.00
81	पट्टा बनाने का कारखाना	3,000.00
82	क़मानी पट्टा बनाने का कारखाना	7,000.00
83	रबड़ के टायर, ट्यूब बनाने का कारखाना	15,000.00
84	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
85	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00
86	आतिशबाजी सम्बन्धी सामान बनाने का कारखाना	1,000.00
87	ग्रीस, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	5,000.00
88	चार पहिया बनाने का कारखाना	1,00,000.00
89	दो पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00
90	तार बनाने का कारखाना	15,000.00
91	तार की जाली बनाने का कारख़ाना	3,500.00
92	लालटेन बनाने का कारखाना	3,000.00
93	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00
94	बैट्री बनाने का कारखाना	5,000.00
95	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	5,000.00
96	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00
97	गम, टेप बनाने का कारखाना	4,000.00
98	आटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00
99	निकिल पालिस (प्लेटिंग) करने का कारख़ाना	5,000.00
100	रांगा बनाने का कारखाना	5,000.00
101	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00
102	हड्डी मिल	25,000.00
103	सरेश मिल	5,000.00
104	पेट्रोल मिल	4,000.00
105	डीजल मिल	5,000.00
106	गैस बाटलिंग प्लाण्ट	2,500.00
107	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	2,000.00
108	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,500.00
109	सिनेमा हाल	4,000.00

सत्यापित
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

1	2	3
		रु0
110	विडियो, सिनेमा हाल	2,500.00
111	मुर्गा/मुर्गी दाना का कारखाना/फैक्ट्री	3,000.00
112	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
113	रेडिमेड गारमेंट्स का कारखाना	15,000.00
114	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	15,000.00
115	स्लाटर हाउस/इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग प्लाण्ट	1,00,000.00
116	ट्रान्सफार्मर बनाने की फैक्ट्री	20,000.00
117	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	15,000.00
118	एयर कण्डीशनर बनाने का कारखाना	10,000.00
119	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	5,000.00
120	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
121	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,000.00
122	चमड़ा टेनरी का कारखाना	25,000.00
123	जैविक कारखाना	5,000.00
124	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये तक)	10,000.00
125	फिक्स चिमनी ईंट भट्ठा (20 पाये से अधिक)	15,000.00
126	स्टोन क्रेशर	15,000.00

उपरोक्त के अतिरिक्त उद्योगों को निम्न श्रेणी में विभक्त करते हुये अधिकतम लाइसेन्स फीस सम्मुख अंकित धनराशि के अन्तर्गत निर्धारित की जा सकती है–

1	सूक्ष्म/कुटीर उद्योग (Micro) (लागत 25 लाख तक)	1,000.00 से 5,000.00
2	लघु उद्योग (Small)(लागत 25 लाख से 5 करोड़ तक)	6,000.00 से 20,000.00
3	मध्यम उद्योग (Medium) (लागत 5 करोड़ से 10 करोड़ तक)	21,000.00 से 50,000.00
4	भारी उद्योग (Heavy) (लागत 10 करोड़ से अधिक)	51,000.00 से 1,00,000.00

6–लाइसेंस की अवधि एक वर्ष के लिये होगी जो प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी 31 मार्च को समाप्त होगी। अगले वर्ष के लिये लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु सम्बन्धित लाइसेन्सधारी को निर्धारित शुल्क आवेदन-पत्र के साथ 31 मार्च तक कार्यालय, जिला पंचायत, गाजीपुर में जमा कराना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्र पर निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त 10 प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा किये जाने पर ही नवीनीकरण पर विचार किया जायेगा।

7–इस उपनियम के अन्तर्गत अपर मुख्य अधिकारी लाइसेसिंग अधिकारी होंगे।

8–लाइसेसिंग अधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी लाइसेन्सधारी द्वारा इन उपनियमों में निहित किसी उपनियम अथवा शर्त का अनुपालन न करने या उल्लंघन करने पर लाइसेन्स निलम्बित या निरस्त कर दे या नवीनीकरण न करें। उनके आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर के समक्ष 30 दिन के अन्दर की जा सकेगी। उनका निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

9–उपनियम की धारा 5 में उल्लिखित मिल/कारखाना/फैक्ट्री आदि यदि इस उपनियम के गजट में प्रकाशन के पूर्व में स्थापित या चालित हो तो उसके स्वामी/संचालक को एक माह के अन्दर लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

10—उपनियम की धारा 5 में निर्धारित लाइसेन्स शुल्क में प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर संशोधन करने का अधिकार जिला पंचायत, गाजीपुर में निहित होगा।

11—लाइसेन्स की वसूली अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था से भी की जा सकती है।

12—जिला पंचायत, गाजीपुर द्वारा जारी लाइसेन्स उसके सक्षम विभाग द्वारा जारी लाइसेन्स/अनुमति से भिन्न होगा। इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह लाइसेंस जनपद गाजीपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उद्देश्य से जारी किया जायेगा।

13—लाइसेन्स अधिकारी को अधिकार होगा कि वह जनस्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टिकोण से इन उपनियमों के अन्तर्गत अपने विवेक से कोई आदेश पारित कर सके, जिनका पालन लाइसेन्सधारी को करना होगा।

14—इन उपनियमों के अन्तर्गत किसी मिल/कारखाना/फैक्ट्री के स्वामियों को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :

(1) मिल/कारखाना/फैक्ट्री के अहाते को स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद एवं ठीक दशा में रखना होगा।

(2) लाइसेन्सधारी को वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाना तथा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों का पालन करना होगा।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति को जो संक्रामक या घृणित रोग से पीड़ित हो मजदूरी पर नहीं लगाया जायेगा तथा 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को कार्य की अनुमति नहीं होगी।

(4) मिल/कारखाना/फैक्ट्री व्यावसाय संचालित करने वाले स्थान को पक्का एवं पानी निकास का समुचित प्रबन्ध करना होगा।

(5) जो मिल/कारखाना/फैक्ट्री इंजन से चालू हो उसके पट्टे से चारों ओर कम से कम 2 मीटर का चौड़ा स्थान खाली छोड़ना होगा।

(6) मिल/कारखाना/फैक्ट्री में आग बुझाने की आवश्यक व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(7) शासन द्वारा प्रमाणित माप-तौल के उपकरण को जो प्रमाणित हो प्रयोग किया जायेगा।

(8) लाइसेन्स के आवेदन-पत्र में मिल/कारखाना/फैक्ट्री व्यावसाय का कारोबार का विवरण देना होगा।

(9) शासन द्वारा निर्धारित दूरी के अन्दर किसी सार्वजनिक सड़क/मुख्य मार्ग पर सम्बन्धित मिल/कारखाना/फैक्ट्री व्यावसाय करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(10) व्यवसाय से सम्बन्धित लाइसेन्सी को निरीक्षण पुस्तिका रखनी होगी। जिसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी एवं अन्य अधिकृत कर्मचारी के निरीक्षण के समय उन्हें टिपपणी अंकित करने हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी व्यवसाय का निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकेगा।

(11) लाइसेन्सी को व्यावसाय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं निरीक्षणकर्ता द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध करानी होगी।

(12) चिमनी को पड़ोस की सबसे ऊंची इमारत से 5 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं होना चाहिये।

(द) दण्ड

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, गाजीपुर निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उपनियम का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता की दोष सिद्ध होने पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहा है तो रु0 50.00 (पचास रुपया) प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

सत्यापित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, गाजीपुर

दीपक अग्रवाल,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

पी0एस0यू0पी0–4 हिन्दी गजट–भाग 3–2020 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।